

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प.18(1)साप्र/2/19

जयपुर, दिनांक : 06-08-2020

—: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी 'एच' श्रेणी में वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नांकित शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किये जाते हैं:-

क्र. सं.	वरियता क्रमांक	नाम एवं पदनाम आवंटी	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित राजकीय आवास
1.	53/2013	श्रीमती फूलम देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकीय उपक्रम विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.11.2043	एच-568, गांधीनगर (एच-913, गांधीनगर के स्थान पर)
2.	6/2007	श्री गणेश ठाकुर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जयपुर	31.8.2028	एच-534, गांधीनगर
3.	9/2007	श्री देवी सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर	31.7.2030	एच-549, गांधीनगर
4.	10/2007	श्रीमती संध्या देवी वार्ड मेट जे.के. लोन अस्पताल जयपुर	31.12.2030	एच-553, गांधीनगर
5.	26/2017	श्री सुरेन्द्र सिंह मीना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप शासन सचिव, उर्जा विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.8.2039	एच-562, गांधीनगर
6.	19/2007	श्रीमती किशन राणा वार्ड मेट सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	31.5.2040	एच-563, गांधीनगर
7.	20/2007	श्री ओमप्रकाश पारीक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्रम न्यायालय संख्या-2 जयपुर	30.6.2047	एच-575, गांधीनगर
8.	21/2007	श्री बहादुर सिंह कार्यशाला परिचालक राज. महिला पोलोटेक्निक कॉलेज जयपुर	31.3.2033	एच-577, गांधीनगर
9.	27/2017	श्री सम्पत लाल मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्व ग्रुप-1विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.4.2034	एच-541, गांधीनगर
10.	23/2007	श्रीमती विमला देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभियोजन विभाग, जयपुर	31.12.2023	एच-578, गांधीनगर
11.	24/2007	श्री जगदीश शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उप पूरक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उप खण्ड दक्षिण जयपुर	31.3.2022	एच-579, गांधीनगर
12.	25/2007	श्रीमती मुन्ना कंवर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्थान विधानसभा, जयपुर	30.9.2029	एच-586, गांधीनगर
13.	28/2017	श्रीमती सरोज कुमारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्व (ग्रुप-8) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.6.2040	एच-891, गांधीनगर
14.	27/2007	श्री रामकरण बाना सहायक कर्मचारी जिला साक्षरता एवं समस्त शिक्षा	31.7.2028	एच-589, गांधीनगर

		अधिकारी कलेक्टर, जयपुर		
15.	28/2007	श्री पूरम चन्द योगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जन. स्वा. अभि. विभाग, जयपुर	31.5.2032	एच-592, गांधीनगर
16.	29/2007	श्री रामसहाय मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निदेशालय संस्कृत शिक्षा जयपुर	31.8.2025	एच-651, गांधीनगर
17.	29/2017	श्री सुधीर कुमार सैन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्या. प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	31.01.2030	एच-659, गांधीनगर
18.	30/2007	श्री अजय सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण जयपुर	31.10.2041	एच-855, गांधीनगर
19.	33/2007	श्री धर्मेन्द्र सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय जागीर आयुक्त राजस्थान जयपुर	30.6.2026	एच-857, गांधीनगर
20.	35/2007	श्री अशोक कुमार आचार्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पारिवारिक न्यायालय क्रम-1 जयपुर	31.8.2036	एच-865, गांधीनगर
21.	30/2017	श्रीमती मीराबाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजस्व (ग्रुप-10) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	31.7.2036	एच-656, गांधीनगर
22.	36/2007	श्री विनोद प्रतिहस्त सहायक कर्मचारी कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	31.1.2022	एच-882, गांधीनगर
23.	37/2007	श्री लीलाधर कृष्णा शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-12, जयपुर नगर जयपुर	31.1.2034	एच-885, गांधीनगर
24.	38/2007	श्रीमती अनिता शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विश्राम भवन जयपुर	30.6.2032	एच-888, गांधीनगर
25.	31/2017	श्रीमती लीला नामा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विधि (ग्रुप-6) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.11.2026	एच-892, गांधीनगर
26.	40/2007	श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	31.8.2026	एच-894, गांधीनगर
27.	41/2007	श्री अमर बाबू शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	30.9.2031	एच-901, गांधीनगर
28.	42/2007	श्री अब्दुल सहायक कर्मचारी सार्वजनिक निर्माण विभाग उप खण्ड-6, जयपुर	31.8.2031	एच-902, गांधीनगर
29.	35/2017	श्रीमती मोहर बाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कृषि (ग्रुप-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	30.6.2050	एच-903, गांधीनगर
30.	45/2007	श्रीमती मंजू शर्मा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर	31.7.2028	एच-905, गांधीनगर

31.	47/2007	श्री नीरज कुमार रेफ्रीजेटर मैकेनिक जिला प्रजनन एवं शिशु स्वा. अधिकारी जयपुर	30.6.2028	एच-911, गांधीनगर
-----	---------	--	-----------	------------------

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-चूँकि उक्त कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


४०

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर, जिला साक्षरता एवं समस्त शिक्षा अधिकारी कलेक्ट्रेट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
5. प्रबंधक, विश्राम भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग/अभियोजन विभाग/उप पूरक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उप खण्ड दक्षिण/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/निदेशालय संस्कृत शिक्षा, जयपुर, को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
7. आयुक्त, कार्यालय, जागीर आयुक्त राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
8. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग गांधीनगर/सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड-6, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
9. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वा. अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
10. प्रभारी अधिकारी(संस्थापन), श्रम न्यायालय संख्या-2/न्यायालय महिला उत्पीडन एवं दहेज प्रकरण/पारिवारिक न्यायालय क्रम-1/न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-12/न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।

11. अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल/जे.के. लोन अस्पताल जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
12. प्राचार्य, राजकीय महिला पोलोटेक्निक कॉलेज/सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
13. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. निदेशक,सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटीगण के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराने को सुनिश्चित करावे।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
16. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
18. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
19. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
20. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
21. संबंधित कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-तृतीय (मुख्यालय) जयपुर को सम्भलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
22. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
23. रक्षित पत्रावली।


 6/8/2020
 संयुक्त शासन सचिव
 डिप्टी चीफ ऑफ टोकील
 सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग
 शासन सचिवालय, जयपुर

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

प्रपत्र

1.	नाम अधिकारी / कर्मचारी	
2.	पिता / पति नाम	
3.	वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण	
4.	वैवाहिक स्थिति	
5.	जन्म दिनांक	
6.	सेवानिवृत्ति दिनांक	
7.	ईम्प्लॉयी आई.डी. (Employee ID)	
8.	आधार नंबर	
9.	मोबाईल नंबर	
10.	ई-मेल आई.डी.	
11.	वर्तमान पता	
12.	स्थायी पता	
13.	नियुक्तकर्ता विभाग	
14.	पदस्थापन दिनांक	
15.	डी.डी.ओ. कोड एवं नाम	
16.	पे-मेट्रिक्स लेवल	
17.	ग्रेड पे एवं बेसिक पे	
18.	Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.)	
19.	Employee Status (Probationer/ Permanent etc.)	
20.	जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवेदन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं। इस माध्य में स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है।	
21.	आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।	

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाईल नम्बर

विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर